आपराधिक प्र.क.: 1184 / 2014

## न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 1184 / 2014</u> संस्थित दि: 04 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) ——————— अभियोर्ग

## विरुद

सतीश पिता धनीराम मेरावी, उम्र 20 साल, जाति गोंड, निवासी हर्राभाट थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) ———————— आरोर्प

## —<u>:: उर्पापण – आदेश ::</u>—

## (आज दिनांक 22/01/2015 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बलवंत दास ने दिनांक 10.11.2014 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.11.2014 को दोपहर के करीब 11:00 बजे उसकी लड़की कुमारी विद्या भासन्त परीक्षा देने मण्डई जाने का कहकर घर से गई जो वापस नहीं आई। उसकी लड़की विद्या भासन्त के घर वापस नहीं आने से गांव में व आसपास रिश्तेदारी में तलाश किये पर कहीं पता नहीं चला। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 151/14 धारा 363 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि आरोपी सतीश उसे जाने से मारने की धमकी देकर बोला कि तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा उसे अज्ञात जगह लेकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरीक संबंध बनाये और बुरा काम किया। जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376–2(ह), 506 एवं 45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की (04)धारा 363, 366, 376–2(ढ), 506 एवं 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संक्षरण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।, (05)
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (06)महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- प्रकरण में न्यायिक आरोपी अभिरक्षा निरूध्द (07)में उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 05.02. 2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।
- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल (80) सागर जांच हेतू भेजा जाना दर्शित है। आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) ALIMANA Parela न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट